

I/8911/2022



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
Integrated Regional Office
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh - 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
 दूरभाष/Tel.: 0177-2658285
 0177-2652541
 फैक्स/Fax: 0177-2657517

पत्र सं० 08बी./एच.पी./01/116/2019/एफ.सी./

दिनांक: .06.2022

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार

आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला।

(Email:- forestsecy-hp@nic.in)

विषय: Diversion of 9.739 ha of forest land in favour of HPSEB Ltd., for the construction of Devi Kothi Hydel Electric Project (16.00 MW), within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh(Online Proposal No. FP/HP/HYD/32280/2018).

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि०प्र० के पत्रांक एफ.टी. 48-5174/2020 (एफ.सी.ए.) दिनांक 04.04.2022

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण पर नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि०प्र० के पत्र दिनांक 13.08.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज मंगवाये जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 29.01.2020 एवं 29.10.2021 को हुई बैठक में संस्तुति एवम् प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की स्वीकृति के उपरांत **Diversion of 9.739 ha of forest land in favour of HPSEB Ltd., for the construction of Devi Kothi Hydel Electric Project (16.00 MW), within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval)** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
 - (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने परिभ्रांषित वन भूमि पर अर्थात् 19.500 हे० Chiulli UPF 52D/1, Tissa Forest Range, Churah Forest Division, Distt. Chamba, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए। चूंकि जमीन राज्य सरकार के कब्जे में है, अतः FCA Guidelines के Para 2.4(iii) के अनुसार CA land को विधिवत स्वीकृति से पूर्व राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और नामांतरित किया जाए एवं नियमानुसार अगर आवश्यक हो तो IFA, 1927 के अंतर्गत PE/RF अधिसूचित किया जाए।
 - (ख) राज्य सरकार द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही Compartments/खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।
 - (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
 - (घ) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत

I/8911/2022

परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.):
- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5-3/2011-FC(Vol.-I), दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 9.739 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
5. The revised NPV calculation bill as per MoEF & CC order dated 06.01.2022 shall be submitted before Stage-II (final) approval.
6. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I A No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।
7. The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.
8. All the funds received from the User Agency under the project, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Saving Bank Account pertaining to the State Concerned.
9. The State Government will provide Implementation Agreement before issuance of final approval.
10. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर greenery को maintain करने के बाबत वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाएगी।
11. एफ.आर.ए., 2006 की पूर्ण अनुपालना सम्बंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 405 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
13. आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
14. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।
15. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति, यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
16. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
17. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
19. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा तथा हर एक पिलर्स पर क्रम संख्या, डी.जी.पी.एस. coordinates तथा Forward/Backward bearings अंकित हों।
20. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

I/8911/2022

22. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
23. The State Government/User Agency shall ensure adherence to stipulated E-flow as recommended by Govt. of Himachal Pradesh, Hon'ble NGT, MoEF & CC, Govt. of India and any other regulatory authority for the conservation and development of aquatic flora and fauna.
24. Any other condition that the concerned Regional Office of this ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and the User Agency/State Government may ensure compliance to provisions of all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.
25. State Govt. shall ensure that the User Agency shall comply the provisions of all Rules, Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas for the time being in force, as applicable to the project.
26. CAT Plan for the treatment of micro-watershed of this project, in consonance with comprehensive CAT Plan of Ravi Basin, shall be prepared and implemented in consultation with State Forest Department at the project cost.
27. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
28. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से निस्तारण स्थल से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। **मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।**
29. The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry, regularly.
30. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
31. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
32. सम्पूर्ण एवं सत्यापित अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

हो/-

(सत्य प्रकाश नेगी)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली (E-mail: adgfc-mef@nic.in).
2. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalcahp@yahoo.com).
3. आदेश पत्रावली।